Therefore, the reply of the hon. Deputy Minister did not even touch the fringe of the problem. As a matter of fact, to this serious question, he has taken up a ridiculing attitude. Therefore, the Bill cannot be withdrawn by means of anything that has been said by the Deputy Minister. I am very sorry that whatever effect is there because of the speech made by the hon. Finance Minister regarding the gravity of this problem, that has been taken away by the reply given by the Deputy Minister. Therefore, I once again commend this Bill to the acceptance of this House..

Even though according to the Deputy Minister, this Bill may not be so useful for implementing the fixation and regulation of prices, I say that it will serve as a moral background in order that this kind of profiteering and blackmarketing may stop. As the Finance Minister put it yesterday, the society itself will take it upon its own hands to see that blackmarketers are not encouraged and prices are not taken high. This Bill will be serving the purpose to the extent that some sort of moral background is given to the people to see that this menace is at least controlled in a small way. I commend this Bill, even with that limited objective and limited benefit, for the consideration and approval of this House.

Mr. Speaker: There are no amendments to the motion. I will put it to the House. The question is:

"That the Bill to provide for fixation, regulation and control of the prices of commodities which are essential for the life of the community be taken into consideration."

The motion was negatived.

16.59 hrs.

ALL INDIA DOMESTIC SERVANTS BILL

by Shri Balmiki

Shri Balmiki (Bulandshahr—Reserved—Sch. Castes): I beg to move:

"That the Bill to provide for the registration of domestic servants and to regulate their hours of work, payment of wages, leave and holidays be taken into consideration."

अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष की अग्नि-परीक्षा के पश्चात् अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक सदन के सामने आया है ।

निन्दतु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अद्यैववा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः

नीति में निपुण पुरुष चाहे निन्दा करे या स्तुति करे या प्रशंसा करे लक्ष्मी आये, या चली जाये, इससे क्या । आज मरना हो, या युगों के बाद, इससे क्या । लेकिन न्याय के पथ पर या न्याय की बात पर जो कदम रखा है, वह विचार के साथ रखा है । धीर पुरुष न्याय से एक पग भी विचलित नहीं होते ।

17.00 hrs.

सारे देश में श्रमिकों का प्रश्न तो सामने आता है, लेकिन घरेलू मजदूरों के सवाल जो कि एक बड़ा गम्भीर सवाल रहा है आज तक टाला जाता रहा है । मैं यहां सदन में इस प्रकार का विधेयक लाकर देश में कोई अशान्ति नहीं लाना चाहता, बल्कि देश के घर घर में एक प्रकार का ऐसा शान्त वातावरण लाना चाहता हूं कि जहां इन घरेलू मजदूरों का एक स्थान हो सकता है । जिन घरों में वे सेवा करते हैं वहां उनके साथ सद्भावना तथा प्रेम का व्यवहार होना चाहिये । यद्यपि यह प्रश्न जब भी हमारे सामने आता है तो उसको हमारे साथी यहां और बाहर भी कुछ और दृष्टि से देखते हैं । अनेक इस प्रकार की महिलाओं की संस्थायें हैं और इस प्रकार के व्यक्ति भी हैं जिन्होंने इन दो वर्षों में कुछ धमकी भरे पत्र, गम्भीरता के साथ नहीं बल्कि कुछ कड़ी भाषा में इस प्रश्न को लेकर लिखे हैं केवल इस बात को लेकर ही नहीं बल्कि मैं इन बातों को मस्तिष्क में इसलिये रखता हूं कि

[श्री बाल्मीकी]

मैंने भी स्वयं एक घरेलू मजदूर की तरह, एक सफाई मजदूर की तरह कटु अनुभव किये हैं, और मने भी उन कष्टों को बर्दाश्त किया है। इसलिये भी मैं इस प्रश्न को लाना चाहता हूं, जसा कि मने इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आब्जक्टस एण्ड रीजन्स में जाहिर किया है कि उनके काम करने की स्थिति में सुधार आना चाहिये। उनको छट्टी के अवसर भी ठीक तरह से प्राप्त होने चाहियें। यही नहीं, उनके काम के घण्टे भी मुकर्रर होने चाहियें। साथ ही उनको जो वेतन मिलता है उसको भी उनको देने का ठीक ठीक तरह से प्रबन्ध होना चाहिये और इसी प्रकार से जो उनके काम की अन्य स्थितियां हैं उनकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। हिन्दुस्तान के अन्दर जो घरेलू मजदूर हैं उनके अन्दर आज एक आन्दोलन है, यकीनी तौर से आज वे एक विकट स्थिति में हैं, लेकिन उस भावना के पीछे आज एक विचार है इस प्रकार का कि वे कोई इस तरह की आवाज उठा कर अपने काम की स्थिति को ठीक करने के लिये अवसर लेकर या इस प्रकार की दूसरी बातें, जो कि उन के जीवन की सुविधाओं के लिये हो सकती हैं, उन को लेकर वह कोई एक नया आन्दोलन हिन्दुस्तान के अन्दर लाना चाहते हैं मैं इस में विश्वास नहीं करता। वे केवल समाज में अपना उचित स्थान चाहत हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि उनके साथ आज जो व्यवहार होता है वह अच्छा नहीं होता है। मानवीय दृष्टि से भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि उनकी स्थिति पर आपने हल्के हल्के पहले से अधिक ध्यान देने की चेष्टा की है, लेकिन आज भी जिस प्रकार से उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये, उस प्रकार नहीं दिया जाता है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि जब इस प्रश्न को एक नये दृष्टिकोण से छूता हूं तब सदियों का इतिहास मेरी आंखों के सामने लुढ़कता चला जाता है कि उस समय मानवों का एक उचित तथा समान स्थान आदि सृष्टि में उत्पन्न हुआ था। आज इस इन्सान की जो कराहट है, जो आवाज है, उसका जो दुःख है, उसका जो दर्द है, उसके पीछे जो मार्मिकता है, उसके पीछे जो सहृदयता है, अमानवीय व्यवहार के प्रति जो भावना है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान इस लिये आकर्षित करना चाहता हूं कि उसमें एक तथ्य है तथा हमारा राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जो आज बापू जी के पुण्य सिद्धान्तों पर आगे चल रहा है और यहां पर कल्याणकारी राज्य की भावना पैदा हो रही है, वहां इस प्रश्न को कैसे टाला जा सकता है।

Mr. Speaker: The hon. Member may continue next day.

17.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 24, 1961/Visakha 4, 1883 (Saka).